

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2020

No. 49/2020 –Central Tax

G.S.R. 402(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Finance Act, 2020 (12 of 2020) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby appoints the 30th day of June, 2020, as the date on which the provisions of sections 118, 125, 129 and 130 of the said Act, shall come into force.

[F. No. CBEC- 20/06/09/2019-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2020

सं.-50/2020-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 403(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, केन्द्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवाकर (सातवाँ संशोधन) नियम, 2020 है।
(2) ये 01 अप्रैल 2020 से प्रवृत्त होंगे।
2. केन्द्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 के नियम 7 में, तालिका के स्थान पर निम्नलिखित तालिका को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“तालिका

क्रम संख्या	धारा जिसके तहत संयुक्त उध्ग्रहण का विकल्प चुना गया है	पंजीकृत व्यक्तियों का प्रवर्ग	कर की दर
(1)	(1 क)	(2)	(3)
1.	धारा 10 की उपधारा (1) या (2)	ऐसे विनिर्माताओं से, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाए, भिन्न विनिर्माता	राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में कारोबार का आधा फीसदी
2.	धारा 10 की उपधारा (1) या (2)	अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट पूर्तियाँ करने वाला पूर्तिकार	राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में कारोबार का ढाई फीसदी
3.	धारा 10 की उपधारा (1) या (2)	धारा 10 की उपधारा (1) या (2) के उपबंधों के अधीन संयुक्त उध्ग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य पूर्तिकार	राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में कर योग्य माल और सेवाओं की आपूर्तियों के कारोबार का आधा फीसदी